न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 236/2017/225 आरटीए

1. जसविन्द्र सिंह पुत्र जीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सलेमगढ़ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. अंग्रेज सिंह पुत्र जीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सलेमगढ़ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. बलवीरसिंह पुत्र जीतसिंह (फौत)।

2/1 जगतारसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सलेमगढ़ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2/2 अवतारसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सलेमगढ़ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3. मंगलसिंह पुत्र जीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सलेमगढ़ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. हरमन्दरसिंह पुत्र जीतसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सलेमगढ़ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. जगदीश पुत्र जरनैलसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 18 पैट्रोल पम्प के सामने वाली गली लालगढ़ जाटान जिला श्रीगंगानगर।

––– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.06.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर टिब्बी

प्रकरण संख्या 151/2011 अनवानी जसविन्द्र सिंह बनाम अंग्रेजसिंह आदि

श्री प्रद्युम्न सिंह परमार अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मनोज कुमार अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2/1, 2/2 व 4

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5

निर्णय दिनांक –30.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि के लिये रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए रेस्पो0 की खातेदारी भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र अपीलाण्ट खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय गलत व विधि विरूद्ध तथा न्यायिक सिद्धांतो के खिलाफ होने के कारण खारिज योग्य है। विचारणीय न्यायालय द्वारा रेस्पो. की तलबी करवाये बिना तथा किसी प्रकार का एतराज किये बिना प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया गया है जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे तारीख पेशी 11.05.17 नियम की हुई थी उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारो को आगामी तारीख पेशी नही दी गई बल्कि बिना किसी पूर्व सूचना के दिनांक 13.06.17 को उक्त पत्रावली कैम्प कोर्ट सलेमगढ़ मे ले जाकर बिना किसी अधिकारिता व बिना विधिवत सूचना दिये व बिना दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये निर्णित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे यह अंकित किया हे कि मुख्य विवाद अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 6 जगदीश के मध्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जगदीश द्वारा कोई एतराज प्रस्तुत नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा भी मौका पर रास्ता चालू होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई व कैम्पके दौरान ही सरपंच ग्राम पंचायत ने भी प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो की ताईद करते हुए अपीलार्थी को रास्ता की आवश्यकता होने व उसे स्वीकृत किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी अधिकारिता के अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने के रोज हल्का पटवारी से मौका की रिपोर्ट मंगवाई जिसके रास्ता मौका चालू होने व रास्ते की आवश्यकता होने की रिपोर्ट की प्रस्तुत की थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के गुरबचनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह के किला नं. 16 से सबसे कम दूरी का रास्ता होने का कथन कर कानूनी

भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश विधिवत रूप से एवं पूर्ण विवेचन के उपरांत धारा 251ए आरटीए के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार पारित किया है जो तथ्य एवं विधि दोनो दृष्टिकोण से हस्तक्षेप योग्य नही है। चक 14 जीजीआर के प.न. 183/296 मु.न. 66 कि.न. 21 ता 25 मे कोई रास्ता चालू नही है। मौका पर यह भूमि जब रेस्पो सं. 1 के नाम से थी तब भी कोई रास्ता इस भूमि मे चालू नही था व ना ही रेस्पो0 सं. 5 द्वारा रेस्पो0 सं. 1 से यह भूमि खरीद करने के समय यह रास्ता चालू था। अपीलांट ने रेस्पो0 सं. 5 को पक्षकार बनाये बिना रास्ता स्वीकृति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व तत्पश्चात रेस्पो0 सं. 5 के उपस्थित आने एवं सुदृढ जवाबदेही प्रस्तुत करने पर अपीलांट को कम दूरी का रास्ता उपलब्ध होने के तथ्य को दृष्टिगत रख यह प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अपीलांट ने पटवारी हल्का एवं ग्राम पंचायत से मिलकर मिथ्या रिपोर्ट तैयार करवाई व गलत नक्शा प्रस्तुत करवाकर अधीनस्थ न्यायालय को मुगालता मे रखने का असफल प्रयास किया। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मे उल्लेखित किया है कि '' प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी द्वारा 5 बीघा रकबा मे से रास्ता की मांग की गई है जबकि उसके रकबा को सबसे कम दूरी 1 बीघा है, इसके अलावा जहां से रास्ता की मांग की गई है, वहां पर खाला भी चल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।'' अपीलांट द्वारा चक 4 जीजीआर के प.न. 183/296 मु.न. 66 कि.न. 21 ता 25 मे रास्ता स्वीकृत का अनुतोष चाहा गया जबकि रेस्पो0 सं. 5 के कथनानुसार एवं अपीलाधीन निर्णय मे वर्णितानुसार अपीलांट को अपनी भूमि मे आवागमन के लिए कम दूरी का रास्ता कि.न.

16 मे स्वीकृत किया जा सकता है जो स्वीकृतशुदा रास्ता मात्र 1 बीघा दूरी पर है और अपीलांट द्वारा 5 बीघा रकबा मे से रास्ता चाहा गया है। कि.न. 16 किसी अन्य काश्तकार है जिसे पक्षकार नही बनाया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानों अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि मे रास्ते की परम आवश्यकता के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुये रास्ता के संबंध मे मौका निरीक्षण रिर्पोट प्राप्त कर रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.06.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे चक 4 जीजीआर के प.न. 183/296 मु.न. 66 के कि.न. 16 के खातेदार काश्तकार गुरबचनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह को बतौर पक्षकार संयोजित किया जाकर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत नियमानुसार रास्ता के आवेदन का निस्तारण करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 28.02.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़